

## न्यायालय जिला कलक्टर , फलोदी

पीठासीन अधिकारी:- श्री हरजी लाल अटल (आई.ए.एस.)

पंचायत निगरानी संख्या:- 17/2024

प्रार्थीगण	बनाम	अप्रार्थीगण
1. पूनाराम पुत्र श्री भैराराम जाति जाट		1. मोहम्मद हुसैन पुत्र अब्दु खॉ, जाति मुसलमान, निवासी लोहावट जाटावास तहसील लोहावट
2. हरूराम पुत्र श्री फुसाराम जाति जाट, निवासी पश्चिमी ढाणी, देवराजनाड़ा, लोहावट, तहसील लोहावट		2. सरपंच, ग्राम पंचायत लोहावट जाटावास
		3. सचिव/ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत लोहावट जाटावास, पंचायत समिति लोहावट, तहसील लोहावट, जिला फलोदी

पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायत राज 1994 विरुद्ध आदेश ग्राम पंचायत लोहावट जाटावास द्वारा मिसल संख्या 17/2017-18 एवं पट्टा संख्या 14 दायर दिनांक 01.05.2017 एवं जारी दिनांक 21.08.2017 जारी किया गया।

उपस्थित वकील -:

अपीलाण्ट की ओर से- अधिवक्ता श्री प्रवीण मदेरणा।

रेस्पोंडेण्ट्स संख्या 01 की ओर से:- अधिवक्ता श्री गोपाल व्यास।

निर्णय

दिनांक:- 25/9/2024

- निगरानी प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम 1994 प्रार्थीगण पूनाराम एवं हरूराम की ओर से अप्रार्थीगण संख्या 01 के पक्ष में ग्राम पंचायत लोहावट जाटावास द्वारा मिसल संख्या 17/2017-18 एवं पट्टा संख्या 14 दायर दिनांक 01.05.2017 एवं जारी दिनांक 21.08.2017 के विरुद्ध पेश की है।
- अपील का संक्षिप्त सारांश इस प्रकार है कि प्रार्थीगण के पूर्वजों/परिवार के नाम से एक पट्टा जोधपुर गर्वमेन्ट द्वारा पट्टा 16/50-51 मिसल नंबर 62/1948-49 दिनांक 27.01.1951 को जारी किया गया जिसका कुल नाम 1454451/2 मुखसरे वर्गगज है। जिसमें प्रार्थी का हिस्सा निहित है, जिसमें प्रार्थीगण निर्माण कार्य हेतु कार्य शुरू किया तो अप्रार्थी संख्या 01 ने सिविल न्यायालय से स्थगन का प्रार्थना पत्र पेश कर बताया कि उक्त भूमि का पट्टा मेरे स्वयं के नाम से जारी किया हुआ है। जिसे पर पट्टे की प्रति प्राप्त कर निरस्त करवाने हेतु निगरानी याचिका आपके क्षेत्राधिकार में होने से अपीलांतगण ने अपील न्यायालय में पेश की है।
- पत्रावली जरिये अधिवक्ता श्री प्रवीण मदेरणा के द्वारा धारा 97 राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम 1994 के तहत पेश की गई जिसे जांच उपरान्त दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण की तलबी हेतु नोटिस जारी किये गये। प्रार्थी अधिवक्ता ने अप्रार्थीगण को भेजे गये सम्मन की डाक रसीदे पेश की जो शामिल पत्रावली की गई। अप्रार्थी संख्या 01 की ओर से अधिवक्ता श्री गोपाल व्यास ने वकालातनाम प्रस्तुत किया गया। जिसे

जिला कलक्टर  
फलोदी

शामिल मिसल किया गया। ग्राम विकास अधिकारी, लोहावट जाटावास, पंचायत समिति लोहावट से मूल रेकॉर्ड तलब किया गया। जो प्राप्त हुआ, जिसे शामिल पत्रावली किया गया। अप्रार्थी अधिवक्ता ने अप्रार्थी संख्या 01 की ओर से आदेश 11 नियम 1 व धारा 151 सी.पी.सी. का प्रार्थना पत्र पेश किया गया। जिस पर प्रार्थीगण अधिवक्ता ने जबाब नही देना चाहकर निगरानी प्रार्थना पत्र पर बहस करने का निवेदन किया जिसे अप्रार्थीगण अधिवक्ता द्वारा स्वीकार किया गया। तत्पश्चात पत्रावली को बहस हेतु नियत किया गया।

4. अधिवक्ता प्रार्थी ने अपनी बहस में बताया कि ग्राम पंचायत लोहावट जाटावास द्वारा जारी पट्टा संख्या 14 दायर दिनांक 01.05.2017 दिनांक 21.08.2017 को सरपंच अकेले द्वारा जारी किया गया है। उपरोक्त पट्टे की प्रति ग्राम सेवक/सचिव के हस्ताक्षर नहीं है इससे साफ जाहिर है कि ग्राम पंचायत में उक्त पट्टा जारी नहीं किया गया है, न ही पट्टे की प्रक्रिया पूरी की गई है। सरपंच अकेले ने हस्ताक्षर करके जारी पट्टा विधि विरुद्ध होने से निरस्त योग्य है। उपरोक्त पट्टे के संबध में न तो ग्राम पंचायत द्वारा आवेदन किया गया न ही ग्राम पंचायत में आवेदन शुल्क रुपये 25/- जमा करवाये न ही मौका कमेटी गठित की गई, न ही मौका फीस रुपये 25/- ली गयी न ही नक्शा बनाया गया, न ही नक्शा राशि रुपये 25/- ली गयी, न ही उक्त पट्टा के संबध में कोई उजर एतराज सुना गया सरपंच अकेले ने बिना प्रक्रिया किये राजनैतिक चहेते को पट्टा जारी कर दिया जो निरस्त योग्य होने से निरस्त किया जावे। उक्त भूखण्ड का पट्टा प्रार्थीगण के परिवार को जोधपुर गर्वमेन्ट द्वारा जारी किया जा चुका था जिस पर अप्रार्थी संख्या 01 को पट्टा जारी नहीं किया जा सकता, प्रार्थीगण के स्वयं के पट्टा सुदा भूखण्ड को बेचने का अधिकारी ग्राम पंचायत को नहीं था। प्रार्थीगण के पट्टा में सरपंच जाटावास द्वारा क्रमांक 59/2012-13 दिनांक 04.02.2013 को वारिसान एवं स्वामीत्व प्रमाण पत्र जारी किया गया है एवं पुनः ग्राम पंचायत लोहावट जाटावास द्वारा क्रमांक 47 दिनांक 15.03.2015 को वारिसान एवं स्वामीत्व प्रमाण पत्र जारी किया है। इससे साफ जाहिर है कि विवादग्रस्त भूखण्ड प्रार्थीगण का है उसके उपरान्त भी सरपंच द्वारा अपने चहेते को विधि विरुद्ध तरीके से पट्टा जारी किया जो निरस्त योग्य है। अधिवक्ता प्रार्थी ने न्यायिक दृष्टांत आर.एल.डब्लयु 2010(4) पेज 3575, आर.आर.टी. 2020(1) पेज 563, आर.आर.टी. 2003(1) पेज 174, आर.जे.टी. 2017(2) पेज 1546, आर.जे.टी. 2012(1) पेज 385 के उद्धरण भी पेश किये।

5. अधिवक्ता अप्रार्थीगण ने अपनी बहस में बताया कि प्रार्थीगण के पूर्वजों व परिवारजनो के नाम से पट्टा जोधपुर गर्वमेन्ट द्वारा पट्टा संख्या 16/50-51, मिसल संख्या 62/48-49 दिनांक 27.01.1991 को जारी किया जाना बताया गया जिसका कुल माप 1454451/2 मुखसरे वर्गज है जिसमें प्रार्थीगण का हिस्सा निहित था। जिसमें प्रार्थीगण ने निर्माण कार्य किया गया तो अप्रार्थीगण ने सिविल न्यायालय में स्थगन का प्रार्थना पत्र पेश कर बताया कि उक्त भूमि का पट्टा मेरे स्वयं के नाम से जारी होना बताया जिसके पट्टे की फोटो प्रति प्राप्त कर निगरानी याचिका प्रस्तुत की है। उक्त उल्लेखित तथ्य जान बुझकर दुर्भावना से तोड़-मरोड़ कर अंकित किये है न तो वादग्रस्त अप्रार्थीगण की भूमि के स्थल का प्रार्थी के पास पट्टा है न ही मेजरमेन्ट ना ही अडौस-पडौस किसी भी बात से उक्त पट्टा उल्लेखित अप्रार्थी के पक्ष में जारी पट्टे की भूमि से मेल खाते है। अप्रार्थी द्वारा निर्माण करवाया जा रहा है तथा जिसमें

जिला करार  
फलीवी

बाधा उत्पन्न करने पर अप्रार्थी ने निगरानीकर्ता के विरुद्ध न्यायालय सिविल न्यायाधीश, लोहावट में दीवानी वाद प्रस्तुत किया, जिसमें दीवानी विधि वाद संख्या 14/2021 मोहम्मद हुसैन बनाम पूनाराम में सिविल न्यायालय में दिनांक 14.07.2023 को उक्त प्रकरण का निस्तारण करते हुए अप्रार्थी मोहम्मद हुसैन के पक्ष में निर्णय पारित किया। प्रार्थी की ओर से पट्टा संख्या 16/50-51 प्रस्तुत किया है जो कि जोधपुर सरकार द्वारा जारी किया जाना प्रकट होता है उक्त दस्तावेज में यह कहीं भी प्रकट नहीं होता है कि वे विवादग्रस्त भूखण्ड से संबंधित हो क्योंकि उक्त दस्तावेज में अंकित नाप व आसे पासे विवादग्रस्त भूखण्ड से विल्कुल भिन्न है जिसे दौराने बहस अप्रार्थी साबित करने में प्रथम दृष्टया असफल रहे हैं कि विवादग्रस्त भूखण्ड किसी भी प्रकार से उनके द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों से संबंधित है अथवा दस्तावेजों में प्रदर्शित भूखण्ड को समाहित करता है। अप्रार्थी द्वारा अपने आवंटित कब्जा सुद भूखण्ड का माप 30 गुणा 45 फुट यानि 1350 वर्गफुट बताते हैं समपृष्टि कारक दस्तावेज प्रस्तुत किये हैं। इस सिविल कोर्ट के निर्णय व फाईडिंग से भी स्पष्ट है कि निगरानीकर्ता का अप्रार्थी को जारी पट्टा के भूखण्ड से न तो कोई संबंध है और न ही उसके संबंध में कोई स्वत्व स्पष्ट साबित है न ही निगरानीकर्ता ने निगरानी के साथ ऐसा कोई ठोस पुख्ता दस्तावेज व सामग्री पेश की जिससे सिविल न्यायालय की फाईडिंग को न मानने की मजबूत वजह हो। इसके अतिरिक्त उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र/वारिस के संबंध में प्रमाण पत्र विधि अनुसार जिला न्यायालय को ही प्रमाण पत्र जारी करने का अधिकार है। सक्षम न्यायालय द्वारा जारी ऐसा कोई प्रमाण पत्र की प्रति/प्रतियां निगरानीकर्ता द्वारा प्रस्तुत नहीं की गई जिससे यह स्पष्ट हो कि तथाकथित निगरानी कर्ता जिस पट्टे का उल्लेख कर रहा है, उस पट्टेधारियों का वह उत्तराधिकारी व वारिस हो। इसलिए प्रस्तुत निगरानी आधारही व गलत तथ्यों पर प्रस्तुत होने के कारण खारिज फरमाई जावे।

6. उभयपक्ष अधिवक्ता की बहस एवं दौराने बहस प्रस्तुत दृष्टांतों का अवलोकन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजात एवं विकास अधिकारी लोहावट से प्राप्त मूल रिकार्ड का अवलोकन किया गया। अभिभाषकगण द्वारा बहस के दौरान प्रस्तुत दस्तावेजात एवं तर्कों पर विचार मनन किया गया।
- अप्रार्थी द्वारा निगरानी प्रार्थना पत्र के विरुद्ध आपत्तियाँ प्रस्तुत की गई है। इसमें अन्य बिन्दुओं के साथ यह ऐतराज भी किया गया है कि प्रस्तुत निगरानी मियाद अवधि में प्रस्तुत नहीं की गई है व न ही मियाद कण्डोन हेतु निगरानी के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। इस संबंध में बहस के दौरान विद्वान अभिभाषक द्वारा आर.एल.डब्ल्यू 2002(4) (राज)-पेज 2284, डी.एन.जे. 2012 (2) राज-पेज 602, आर.जे.टी. 2016 (1) पेज 99, आर.एल.डब्ल्यू-1960 पेज 475 के उद्धरण प्रस्तुत करते हुए तर्क किया है कि धारा 97 के तहत मियाद 30 दिवस निर्धारित है जबकि प्रश्नगत पट्टा 20.08.2017 का है, उसके विरुद्ध 5 वर्ष की देरी के उपरान्त रिविजन प्रस्तुत किया गया है। विद्वान अभिभाषक का तर्क है कि असाधारण विलम्ब के मामलों में प्रति पक्षकार के पक्ष में सारभूत अधिकार सृजित हो जाते हैं। हस्तगत निगरानी प्रकरण में 5 वर्ष का असामान्य विलम्ब हुआ तो पक्षकार को उपचार प्राप्त करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। उक्त तथ्यों के विरुद्ध अभिभाषक प्रार्थी का

जिला कलक्टर  
फरवरी

तर्क है कि राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम की धारा 97 के तहत निगरानी के लिए कोई मियाद अवधि निर्धारित नहीं है। प्रार्थी के अभिभाषक द्वारा तर्क किया गया है कि प्रश्नगत पट्टा में ग्राम पंचायत द्वारा विधिक प्रावधानों का पालन नहीं कर पूर्व में पट्टाशुदा भूमि पर पुनः प्रश्नगत पट्टा जारी किये जाने की कार्यवाही की है। सरपंच ग्राम पंचायत को इस तथ्य की भली भांति जानकारी थी। इसके बावजूद पट्टा जारी किया गया है। अतः अवैध कार्यवाही को निरस्त किये जाने के लिए कानून में कोई मियाद अवधि निर्धारित नहीं है। इसके अतिरिक्त यह तर्क भी बताया गया है कि प्रार्थीगण ने अपनी पट्टाशुदा भूमि पर निर्माण कार्य वर्ष 2022 में किया तो अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा सिविल न्यायालय में स्थगन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपीलाधीन पट्टा अपने नाम जारी होना बताया उसके बाद पट्टे की प्रति प्राप्त कर दिनांक 30.11.2022 को निगरानी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। जो जानकारी की तिथी से बिना विलम्ब किये शीघ्र प्रस्तुत की गई है। इस संबंध में विद्वान अभिभाषक द्वारा राजस्थान उच्च न्यायालय की माननीय खण्डपीठ द्वारा दिनांक 23.10.2018 को निर्णीत इंसाफ खान बनाम राज्य सरकार व अन्य का उद्धरण प्रस्तुत किया है। हमने अभिभाषकगण के द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर विचार मनन किया। इस संबंध में हमारा अभिमत है कि धारा 97 के तहत निगरानी प्रस्तुत किये जाने के लिए राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम, 1994 के तहत कोई समय सीमा का निर्धारण नहीं है। अभिभाषक अप्रार्थी द्वारा इस बाबत बताई गई 30 दिवस की मियाद अवधि रिवीजन के लिए निर्धारित नहीं है। धारा 97(3) के तहत 90 दिवस की अवधि पुनर्विलोकन के लिए निर्धारित की गई है। इस संबंध में न्यायालय का मत है कि पुनरीक्षण की शक्तियाँ किसी पंचायती राज संस्था या उसकी समितियों के द्वारा की गई कार्यवाही/निर्णय की जांच किये जाने के अधिकार राज्य सरकार/जिला कलक्टर को प्रदत्त करता है। पुनरीक्षण की उक्त धारा के तहत दी गई शक्तियाँ व्यापक है जो प्राथमिक एवं अपीलीय दोनों अधिकारीता तक विस्तृत है और इसके तहत किसी पंचायती राज संस्था द्वारा की गई कार्यवाही की नियमता/वैधता एवं औचित्य के संबंध में जांच कर उस आज़ा या निर्णय को संशोधित करने/निरस्त करने या पुनर्विचार हेतु भेजने का अधिकार है। ऐसे मामले में जहां विधि में मियाद अवधि निर्धारित नहीं है, वहां पर युक्तियुक्त समय में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जाना चाहिए। युक्तियुक्त अवधि क्या होगी, यह प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों के विवेचन पर निर्भर है। प्रकरण में तथ्यों के परीक्षण से यह प्रकट होता है कि ग्राम पंचायत द्वारा राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम 1994 की धारा 157 के तहत भूखण्ड आवंटन के लिए निर्धारित शर्तों के संबंध में पात्रता का निर्धारण किये बिना ही भूखण्ड आवंटन किया जाना प्रतीत होता है। ऐसी स्थिति में न्यायहित में ग्राम पंचायत के प्रस्ताव तथा की गई कार्यवाहियों की नियमितता, वैधता व औचित्य का परीक्षण किया जाना उचित है। अतः न्यायालय का अभिमत है कि प्रकरण में गुणावगुण के आधार पर निर्णय पारित किया जाना न्यायपूर्ण है।

जिला कलक्टर  
फलोदी

8. प्रकरण में ग्राम पंचायत लोहावट जाटावास के अभिलेख के अवलोकन से प्रकट होता है कि विवादित भूखण्ड विक्रय का निर्णय ग्राम पंचायत लोहावट जाटावास द्वारा पंचायती राज अधिनियम 1994 के नियम 157(1) के तहत पुराने गृह के नियमितकरण नियम के तहत किया गया है। उक्त नियम के तहत ग्राम पंचायत द्वारा जहां व्यक्ति आवादी भूमि में पुराने गृह का कब्जा रखते हैं एवं पट्टा जारी किये जाने के इच्छुक हैं, वहां 300 वर्गगज के क्षेत्रफल का नियमितकरण निर्धारित राशि जमा कराई जाकर किये जाने का

प्रावधान है। प्रकरण में निगरानीकर्ता द्वारा निगरानी के आधार के रूप में चार प्रमुख आधार प्रस्तुत किये गये हैं। उसमें एक आधार यह है कि विवादित भूखण्ड का पट्टा निगरानी कर्ता के परिवार को जोधपुर गर्वमेन्ट द्वारा पट्टा संख्या 16/25.01.1951 को जारी किया गया था। पूर्व में पट्टाशुदा भूखण्ड की भूमि पर ग्राम पंचायत द्वारा पट्टा जारी किया जाना क्षेत्राधिकार से परे है। इस संबंध में अप्रार्थी संख्या 01 द्वारा आदेश 11 नियम 1 सपटित धारा 151 सी.पी.सी. का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत किये गये पट्टे की प्रति जो 1951 में जारी किया जाना बताया गया है, की नाप व मेजरमेन्ट निर्धारित नहीं है, वह विवादित भूखण्ड के संबंध नहीं रखती है। अप्रार्थी संख्या 01 को आवंटित भूखण्ड खसरा नंबर 435/1 गैर मुमकिन आबादी का हिस्सा है। जिसके संबंध में ग्राम पंचायत का भूखण्ड आवंटित करने का पूर्ण अधिकार है। अतः ग्राम पंचायत लोहावट जाटावास से यह प्रकटीकरण करवाया जाना आवश्यक है कि पट्टा संख्या 14 दिनांक 21.08.2017 ग्राम पंचायत की गैर मुमकीन आबादी भूमि खसरा संख्या 435(1) में है या नहीं, एवं उक्त खसरा नंबर में अन्य व्यक्तियों को पट्टे जारी किये गये हैं या नहीं। उक्त प्रार्थना पत्र का प्रार्थी की ओर से जबाब प्रस्तुत न कर सीधे बहस की गई है। प्रार्थी के अभिभाषक का तर्क है कि ग्राम पंचायत की पत्रावली में कोई खसरा नंबर उल्लेखित नहीं है और ग्राम सेवक द्वारा नियम 145(3) के तहत कोई नक्शा तैयार नहीं किया गया है। अप्रार्थी द्वारा प्रक्रिया को देरी ना करने की नियत से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। इस संबंध में हमारा मत है कि न्यायालय द्वारा ग्राम पंचायत जाटावास लोहावट का सम्पूर्ण अभिलेख तलब कर किया गया है। अतः पृथक से ग्राम पंचायत से कोई प्रकटीकरण की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है। ग्राम पंचायत को निगरानी में पक्षकार भी बनाया जाकर सूचित किया गया है। ग्राम पंचायत द्वारा आज दिनांक तक कोई जबाब नहीं प्रस्तुत कर मूल अभिलेख जिसमें बैठक कार्यवाही विवरण पट्टा मिसल, रसीद बुक एवं संबंधित पत्रावली प्रस्तुत की गई है। ग्राम पंचायत के बैठक कार्यवाही विवरण एवं पट्टा रजिस्टर आवंटन पत्रावली के अवलोकन से यह प्रकट होता है कि इसमें कहीं पर भी खसरा नंबर का उल्लेख नहीं है। अप्रार्थी स्वयं द्वारा ग्राम पंचायत द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र (जो सिविल न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है) की प्रति प्रस्तुत की है जिससे स्पष्ट है कि निगरानीधीन पट्टा खसरा नंबर 435/1 में जारी किया है। अतः अप्रार्थी द्वारा प्रकटीकरण हेतु प्रस्तुत प्रार्थना पत्र औचित्य पूर्ण नहीं है। अतः अस्वीकार किया जाता है।

9. निगरानी कर्ता द्वारा निगरानी के अन्य आधार में रूप में यह अंकित किया गया है कि विवादित भूखण्ड का पट्टा सरपंच अकेले के द्वारा जारी किया गया है। पट्टे की प्रक्रिया अकेले सरपंच द्वारा की गई है। इस संबंध में अप्रार्थी अभिभाषक का तर्क है विवादित भूखण्ड के पट्टे पर सरपंच व ग्राम सेवक के हस्ताक्षर किये गये हैं। यदि दोनों के हस्ताक्षर किये गये हैं तो सम्पूर्ण प्रक्रिया दोनों के द्वारा की गई माना जाना चाहिए। पट्टे की प्रति के अवलोकन से यह प्रकट होता है कि पट्टे पर सरपंच व ग्राम सेवक दोनों के हस्ताक्षर हैं किन्तु भूखण्ड की मिसल संख्या 17/2017-18 की आदेशिकाओ पर, आवेदन पत्र पर, पंचायत नक्शा फार्म पर, आबादी भूमि के निरीक्षण प्रपत्र पर, आपत्ति आमंत्रण के नोटिस पर एवं बयानों पर ग्राम सेवक के हस्ताक्षर नहीं हैं। बैठक कार्यवाही विवरण दिनांक 20.08.2017 के अवलोकन से प्रकट होता है कि कार्यवाही विवरण में भूखण्ड आवंटन से संबंधित प्रस्ताव संख्या 03 अलग हस्तलिपि में

जिला कलक्टर  
फरवीदी

अंकित किया गया है। इसी प्रकार बैठक दिनांक 22.06.2017 के कार्यवाही विवरण में भूमि विक्रय हेतु भूमि मौका निरीक्षण बाबत 3 वार्ड पंचों की समिति गठन का प्रस्ताव लिया गया है किन्तु इसमें विवादित भूखण्ड की मिसल संख्या 17/2017-18 का अंकन नहीं है। इस प्रकार ग्राम पंचायत द्वारा की गई कार्यवाही संदेहजनक है।

10. राजस्थान पंचायतराज अधिनियम 1996 के नियम 140 से 156 तक आबादी भूमि के विक्रय एवं निष्पादन (DISPOSAL) की प्रक्रिया नियत की गई है। जहां तक भूखण्ड आवंटन की प्रक्रिया का प्रश्न है, नियम 145 के तहत
1. आवेदक को लिखित आवेदन से ऐसा विवरण प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है उसमें उसका ऐसा विवरण देते हुए करेगा जो क्रय के लिए के लिए प्रस्तावित भूमि की पहचान के लिए पर्याप्त हो।
  2. आवेदक अपने आवेदन के साथ स्थल निरीक्षण के व्ययों के पेंटे पच्चीस रूपये की राशि जमा करायेगा।
  3. यदि आवेदन के साथ स्थल नक्शा संलग्न नहीं किया हो तो नक्शा तैयार करने के लिए भी पच्चीस रूपये जमा करायेगा। ऐसे मामलों में सचिव आवेदक की उपस्थिति में स्थल निरीक्षण करने के पश्चात स्थल नक्शा तैयार कराये जाने का प्रावधान है।

नियम 146 के अनुसार सचिव ऐसे आवेदकों की पत्रावली खोलेगा एवं लम्बित प्रार्थना पत्रों में वांछित भूखण्डों के निरीक्षण के लिए बैठक में प्रस्तुत करेगा। प्रकरण में आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन के साथ पंचायत नक्शा फार्म की प्रति प्रस्तुत की है किन्तु इस पर नक्शा बनाने वालों या ग्राम सेवक के हस्ताक्षर नहीं है। न ही नक्शों पर प्रस्तावित भूखण्ड के आस-पड़ोस अंकित किये गये हैं। ग्राम सचिव द्वारा ऐसी कोई कार्यवाही भी नहीं की गई है।

11. अप्रार्थी संख्या 01 के आवेदन के बिन्दु संख्या 5 में आवेदित भूखण्ड पर 10-15 वर्षों के दौरान पशु बाड़ा होने का उल्लेख किया गया है, जबकि आदेशिका दिनांक 20.08.2017 में 10-11 वर्षों से पुराने मकान बने होने का उल्लेख किया गया है। ग्राम पंचायत की बैठक दिनांक 20.08.2017 में 50 वर्षों का कदीमी कब्जा व मकान होना बताया गया है। पत्रावली में संलग्न मोहम्मद हुसैन के शपथ पत्र में 45 वर्षों से कब्जाशुदा जमीन/मकान होना बताया गया है। उक्त शपथ पत्र में आवेदक की आयु 48 वर्ष अंकित की गई है। इस प्रकार आवेदित भूखण्ड के पुराने कब्जे के संबध में विरोधाभासी कथन एवं साक्ष्य प्रस्तुत किये गये हैं। जबकि नियम 157(1) के तहत नियमों में 50 वर्ष पूर्व या 31.12.2016 से ठीक 70 वर्ष पूर्व निर्मित पुराना गृह का उक्त नियम के तहत नियमन किया जा सकता है।

12. अप्रार्थी के अभिभाषक के द्वारा यह साक्ष्य प्रस्तुत किया गया है कि प्रकरण के संबध में सिविल कोर्ट न्यायाधीश लोहावट में विचाराधीन वाद संख्या 14/2022 के तहत प्रार्थना पत्र संख्या 98/2022 के निर्णय में माननीय न्यायालय में विवादित भूखण्ड के संबध में मौका कमिश्नर नियुक्त किया गया है। मौका कमिश्नर की रिपोर्ट के अनुसार मौके पर नीचे खोदी हुई होना पाया गया है। इससे यह प्रतीत होता है कि पूर्व में उक्त भूमि पर कोई निर्माण नहीं था। यहां तक कि आवेदक स्वयं द्वारा 10-15 वर्षों से पशु बाड़ा होना अंकित किया गया है। अतः आवेदक का 50 वर्ष पूर्व निर्मित पुराना गृह होना प्रकट नहीं होता है। प्रकरण में नियम 148 के तहत आपत्तियां आमंत्रण हेतु नोटिस जारी किया जाना बताया गया है। नियम 148 (2) के तहत नोटिस की प्रति विक्रय हेतु प्रस्तावित

जिला कलेक्टर  
फलीपी

भूमि पर किसी सहज दृश्य स्थान पर लगायी जायेगी, दूसरी प्रति परिक्षेत्र के कम से कम दो प्रतिष्ठित व्यक्तियों के उसे ऐसे लगाये जाने के प्रमाण स्वरूप हस्ताक्षर किये जाने के पश्चात पंचायत कार्यालय को लौटायी जायेगी। उक्त नियम की पालना ग्राम पंचायत द्वारा किया जाना प्रकट नहीं होता है। मूल मिसल के अवलोकन से प्रकट होता है कि ग्राम पंचायत द्वारा 20.08.2017 को यह निर्णय किया गया है कि आपत्तियां प्राप्त करने हेतु जारी नोटिस की मियाद 1 माह पूर्ण हो चुकी है। आपत्तियां प्राप्त नहीं हुई है। बयान लिये गये पंचों के मौका जांच रिपोर्ट, प्रार्थी की सबूतों ने भूमि प्रार्थी द्वारा भूमि पर कब्जा एवं 10-11 वर्षों से पुराने मकान बने होने से प्रार्थी द्वारा नियमन राशि जमा कराने के पश्चात विक्रय विलेख जारी किया जावे। प्रकरण में संलग्न ग्राम पंचायत की मिसल में पंचगण की मौका निरीक्षण की दो रिपोर्ट उपलब्ध है जिसमें एक पर मात्र सरपंच के हस्ताक्षर है एवं दूसरी पर वार्ड पंच सोहनलाल के हस्ताक्षर व दो अंगुठें निशानीयाँ अंकित है। उक्त अंगूठे की निशानियों के संबध में यह अंकित नहीं है कि किसके अंगूठे के निशान है। अतः मौका रिपोर्ट संदिग्ध है। जहां तक बयानों का प्रश्न है प्रकरण में केवल आवेदक के बयान लिये गये है। उसमें भी यह कथन नहीं है कि आवेदित भूखण्ड पर प्रार्थी का पुराना कितने वर्षों से पुराना कब्जा है। बयान में आवेदित भूखण्ड के उत्तर में गली होना अंकित किया गया है। जबकि पट्टे में उत्तर में खालसा होने का अंकन है। इस प्रकार यह प्रकट होता है कि ग्राम पंचायत द्वारा प्रार्थी आवेदन में नियम 157(1) के तहत पट्टा जारी किये जाने के लिए निर्धारित पात्रता का समुचित परीक्षण नहीं किया गया है। सम्पूर्ण पत्रावली के अवलोकन से आवेदित भूखण्ड पर पुराना गृह बने होने का साक्ष्य नहीं है। यहां तक प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र में 10-15 वर्षों के दौरान पशु बाड़ा बने होने का उल्लेख है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र में भी आवेदित भूमि पर पिछले 45 वर्षों से कब्जा शुद्ध जमीन/मकान होना बताया गया है। इससे यह स्वभाविक संदेह उत्पन्न होता है कि आवेदित भूमि पर पुराना गृह बना हुआ होना सिद्ध नहीं किया गया है।

13. इसी प्रकार प्रकरण में राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 के नियम 160 के तहत किये गये भूमि अन्तरण बाबत सक्षम प्राधिकारी का अनुमोदन भी किया जाना प्रकट नहीं होता है। उक्त विवेचन से यह स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत द्वारा की गई कार्यवाही संदिग्ध है एवं सत्यता से परे होना प्रतीत होती है।

14. अतः उक्त प्रकरण विवेचनानुसार निगरानीधीन पंचायत निर्णय व कार्यवाही खारीज की जाती है। प्रकरण में विवादित भूखण्ड के संबध में सिविल न्यायालय में के दीवानी वाद न्यायालय में प्रकरण संख्या 14/2022 विचाराधीन होना प्रतीत होता है तथा इसके तहत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 39 नियम 01 व 02 सपठित धारा 151 सी.पी.सी. दिनांक 14.07.2023 को प्रकरण में विवादग्रस्त भूखण्ड के मौका व रेकर्ड की ताफैसला मूल वाद तक यथास्थिति बनाये रखने का आदेश जारी किया गया है। अतः तदानुसार प्रकरण में यथास्थिति बनायी रखी जावें।

15. अतः उक्तानुसार प्रकरण पंचायत समिति लोहावट को प्रतिप्रेषित कर निर्देश दिए जाते हैं कि विकास अधिकारी पंचायत समिति लोहावट निगरानीकर्ता द्वारा प्रस्तुत पट्टा संख्या 16/1951-52 के संबध में तथ्यों की जांच एवं तथ्यों का परीक्षण इस आशय से करे कि खसरा संख्या 435/1 में स्थित ग्राम पंचायत की आबादी भूमि वर्ष 1951 में जारी उक्त पट्टे की भूमि में सम्मिलित है या उसके पृथक है। यदि उक्त पट्टा प्रमाणित नहीं पाया जाता है या बनावटी है तो इसको खारिज किये जाने के लिए विधिक कार्यवाही आगामी 3

13. इसी प्रकार प्रकरण में राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 के नियम 160 के तहत किये गये भूमि अन्तरण बाबत सक्षम प्राधिकारी का अनुमोदन भी किया जाना प्रकट नहीं होता है। उक्त विवेचन से यह स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत द्वारा की गई कार्यवाही संदिग्ध है एवं सत्यता से परे होना प्रतीत होती है।

जिला कलक्टर  
फरीदा

माह में किया जाना सुनिश्चित करे एवं यह भी निर्देश दिए जाते हैं कि पट्टा संख्या 14 दिनांक 21.08.2017 आवेदक की पात्रता का परीक्षण व जांच कर पुनः निर्धारण करे और आवेदक की पात्रता यदि साक्ष्यों से सिद्ध होती है तो नये सिरे से राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम 1994 व नियम 1996 के तहत नियमानुकूल प्रक्रिया अपनाई जाकर पुनः भूखण्ड आवंटन की प्रक्रिया सुनिश्चित करे।

16. पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर दाखिल दफ़तर हो। पत्रावली नंबर से कम हो। निर्णय आज दिनांक 25.9.2024 सरेइजलास सुनाया गया।



हरजी लाल अटल  
(आई.ए.एस.)  
जिला कलक्टर फ़लौदी

